

न्यायालय जिला कलक्टर, झालावाड़


मिसल न० 17/प्रा०पत्र/19

बजरंग पुत्र भंवरलाल धोबी नि० बकानी तहसील बकानी  
बनाम  
राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार बकानी

अपील विरुद्ध निर्णय तहसीलदार बकानी निर्णय दिनांक 28.12.2018  
मिसल न० 439/18

प्रा०पत्र स्थगन आदेश

29/19 प्रा०पत्र मूल अपील के साथ प्रस्तुत हुआ। प्रकरण का अवलोकन किया गया, चूंकि मूल प्रकरण में बहस की जाकर निर्णय पारित किया जा चुका है ऐसी स्थिति में प्रा०पत्र के माध्यम से प्रार्थी को कोई राहत नहीं दी जा सकती है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। प्रा.पत्र बाद दर्ज रजिस्टर फ़ैसल शुमार होकर मूल अपील के सलंग्न हो।

  
जिला कलक्टर  
झालावाड़